ACM आमेर मु. ५८६

फर्द अहकाम

काश्तकार बनाम भवानी सिंह

...म न्यायालय

...प संख्या 55/23 TA

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	6/6/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उप.। अप्रार्थी उप.। उत्तरपक्ष की प्रा॰पत्र O39 R7 पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा॰पत्र O39R7 हेतु दिनांक 12/6/2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	12/6/25	पत्रावली प्रस्तुत। व.प्र. उप.। पूर्वानुसार वास्ते आदेश हेतु दिनांक 20/6/2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	20/6/25	पत्रावली प्रस्तुत। व.प्र. उप.। प्रा॰पत्र O39R7 खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 1/7/2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	1/7/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व.प्र.उप.। उत्तरपक्ष ने बहस हेतु समय चाहा। आगामी पेशी पर बहस करे। पत्रावली दिनांक 10/7/2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	10/7/25	पत्रावली प्रस्तुत। व.प्र.उप.। उत्तरपक्ष की बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 24/7/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	24/7/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व.प्र.उप.। उत्तरपक्ष ... जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ... के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुदा होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:59:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या– 55/2023 प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक 14.07.2023

1. कानाराम पुत्र स्वर्गीय श्री झूथाराम
2. धन्नाराम पुत्र स्वर्गीय श्री झूथाराम
3. मोहन लाल पुत्र स्वर्गीय श्री झूथाराम
4. केसरलाल पुत्र स्वर्गीय श्री झूथाराम
5. प्रेम देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रामनिवास
6. काली देवी पुत्रो स्वर्गीय श्री रामनिवासकाली
7. गीता देवी पुत्री स्वर्गीय श्री रामनिवास
8. बाली देवी पुत्री स्वर्गीय श्री रामनिवास
9. सीता देवी पुत्री स्वर्गीय श्री रामनिवास
10. पांची देवी पुत्री स्वर्गीय श्री रामनिवास
11. कविता देवी पुत्री स्वर्गीय श्री रामनिवास कविता
12. संगीता देवी पुत्री स्वर्गीय श्री रामनिवास संगीता
13. गणेश पुत्र स्वर्गीय श्री रामनिवास गणेश कुमार
14. भागचन्द पुत्र स्वर्गीय श्री रामनिवास

समस्त जाति–गर, निवसी–ग्राम जयरामपुरा, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर (राजस्थान)।

........प्रार्थीगण

बनाम

1. भवानी सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री देवी सहाय
2. प्रहलाद सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री देवी सहाय
3. श्रीमती राधा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री बन्नेसिंह
4. अमित पुत्र स्वर्गीय श्री बन्नेसिंह
5. गौरव पुत्र स्वर्गीय श्री बन्नेसिंह
6. विनोद सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
7. चन्द्रभान सिंह पुत्र भवानी सिंह,
8. रामा देवी पत्नी श्री भवानी सिंह
9. श्री प्रहलाद सिंह की पत्नी विमला देवी

जाति–बड़वा (जागा) निवासी–ग्राम जयरामपुरा, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर (राजस्थान)।

10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार–आमेर, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर (राजस्थान)।

...अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:59:38 IST
Reason: SelfAttested

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

निर्णय दिनांक 24.07.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है, आराजी खसरा नम्बर–1138/1752 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–1139/1753 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–1150/1754 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–1217 रकबा

0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–1218 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–1219 रकबा 1.3500 हैक्टेयर, कुल किता 6 कुल रकबा 2.0200 हैक्टेयर, वाके ग्राम जयरामपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र–खोराबिसल, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर में स्थित है। जिसके प्रार्थीगण रिकोर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है। जो वाद पत्र में आगे चलकर वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया गया है। प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा अप्रार्णीगण स्वर्ण जाति के सदस्य है, प्रार्थीगण आर्थिक, राजनैतिक व शारीरिक बल से कमजोर व्यक्ति है तथा अप्रार्थीगण हर प्रकार से सक्षम है तथा प्रार्थीगण की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करने की कोशिश में रहते हैं तथा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में आये दिन झगडा–फसाद करते रहते है। जबकि प्रार्थीगण की भूमि से अप्रार्णीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है, प्रार्थीगण ने अपनी भूमि का सीमाज्ञान भी करवाया है तथा प्रार्थीगण व अर्थीगण की भूमि सीवा जोड भूमि है तथा अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने की कुचेष्टा में रहते है। खसरा यह कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 के पूर्वज बन्नेसिंह ने पूर्व में प्रार्थीगण के नम्बर–1150/1754 रकबा 0.1500 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध कब्जा कर लिया था, जिस पर प्रार्थीगण ने न्यायालय तहसीलदार, आमेर, जिला–जयपुर के समक्ष अन्तर्गत धारा–183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत कार्यवाही की जिस पर न्यायालय तहसीलदार आमेर, जिला–जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 15/11/2007 पारित कर अप्रार्णीगण को भौतिक रूप से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया है, जिसकी पालना में दिनांक 26/07/2012 को कजा प्रार्थीगण को सुपुर्द किया गया है। यह कि प्रार्थीगण दिनांक 08/07/2023 को अपने खातेदारी कजा काश्त की उक्त भूमि पर फसल बुआई के लिए ट्रेक्टर चलाना शुरू किया, तब अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर आ गये तथा प्रार्थीगण को फसल बोने से रोकने लगे तथा झगडा–फसाद करने लगे, तब प्रार्थीगण ने पुलिस थाना–हरमाडा में अप्रार्णीगण के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर पुलिस थाना–हरमाडा, जयपुर द्वारा मौके पर जाकर प्रार्थीगण को उसकी भूमी पर फलस बुआई का काम करवा कर आये है तथा दिनांक 09/07/2023 को अप्रार्णीगण ने प्रार्थीगण को एलानियाँ धमकी दी है कि पुलिस को लाकर खेत की बुआई तो कर ली, परन्तु अब हम आपको वादग्रस्त भूमि में घूसने नहीं देंगे और फसल को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे तथा उपयोग–उपभोग नहीं करने देंगे। इसलिए प्रार्थीगण को अपने हक व अधिकार तथा कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि के सम्बन्धित कार्य जैसे फसल बोने, फसल की निराई–गुडाई करने, फसल काटने व हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने के अधिकार हांसिल है तथा अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि पर किसी भी प्रकार से अतिक्रमण कर अवैध कब्जा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार नष्ट–भ्रष्ट नहीं करें तथा मजाहमत व मदालखत पैदा नहीं करें तथा मौका की स्थिति यथावत बनाये रखे। बिनाय दावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:59:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

दिनांक 09 / 07 / 2023 को एलानियां धमकी देने से उत्पन्न हुआ, जो लगातार उत्पन्न हो रहा है। प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। अप्रार्थीगण को प्रार्थनीय रूप से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया जाता है तो उसकी किसी प्रकार की कोई असुविधा व अपूर्तनीय क्षति कारित नहीं होगी; बल्कि इसके विपरीत यदि अप्रार्थीण को पाबन्द नहीं किया गया तो वह अपने मकसद में कामयाब हो जावेंगे तथा प्रार्थीगण का उक्त वाद पेश करने का मकसद ही समाप्त हो जावेगा तथा अपनी सम्पत्ति से महरूम होना पड जावेगा, अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है, इसलिए अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या–दो में वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर–1138 / 1752 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–1139 / 1753 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–1150 / 1754 रकबा 0. 1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–1217 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–1218 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–1219 रकबा 1.3500 हैक्टेयर, कुल किता 6 कुल रकबा 2.0200 हैक्टेयर, वाके ग्राम जयरामपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र–खोराबिसल, –तहसिल–आमेर, जिला–जयपुर में स्थित है, पर अप्रार्णीगण किसी 2 बेदखल नहीं करें तथा प्रार्थीगण के कृषि करने व उपयोग–उपभोग में बाधा कारित नहीं करें तथा मजाहमत व मदालखत पैदा नहीं करें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के उपरान्त अप्रार्थीगण की विधिवत जरिये रजिस्टर्ड एडी तलवी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 एवं 5 लगायत 9 की ओर से जवाब–प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थना–पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित कथन में केवल मात्र उक्त उनवानी वाद पेश करना पेश करना स्वीकार है, शेष कथन गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना–पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1138 / 1752 रकबा 0.18 हैक्टेयर, 1139 / 1753 रकबा 0.22 हैक्टेयर, 1150 / 1754 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 1217 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 1218 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 1219 रकबा 1.35 हैक्टेयर, कुल [illegible] 6 कुल रकबा 2.02 हैक्टेयर वाके ग्राम जयरामपुरा, भू–अभिलेख [illegible], तहसील–आमेर, जिला–जयपुर में स्थित है। किन्तु उक्त भूमि [illegible] भूमि खसरा नंबर 1150 रकबा 0. 51 हैक्टेयर भूमि में से दौराने सेटिलमेन्ट कार्यवाही अवैध व विधिविरूद्ध तरीके से 0.15 हैक्टेयर भूमि कम करके प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 745 / 5 की दर्शा कर नया खसरा नंबर 1150 / 1754 बनाकर प्रार्थीगण के नाम मर्ज कर दी तथा अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 744 रकबा 2 बीघा के नये नंबर 1150 में अप्रार्थीगण की अन्य खसरा

सहायक कलक्टर
आमेर प्र० जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:59:38 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 09/07/2023 को एलानियां धमकी देने से उत्पन्न हुआ, जो लगातार उत्पन्न हो रहा है। प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। अप्रार्थीगण को प्रार्थनीय रूप से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कर दिया जाता है तो उसकी किसी प्रकार की कोई असुविधा व अपूर्तनीय क्षति कारित नहीं होगी; बल्कि इसके विपरीत यदि अप्रार्थीण को पाबन्द नहीं किया गया तो वह अपने मकसद में कामयाब हो जावेंगे तथा प्रार्थीगण का उक्त वाद पेश करने का मकसद ही समाप्त हो जावेगा तथा अपनी सम्पत्ति से महरूम होना पड जावेगा, अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है, इसलिए अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या–दो में वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर–1138/1752 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–1139/1753 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–1150/1754 रकबा 0. 1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–1217 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–1218 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–1219 रकबा 1.3500 हैक्टेयर, कुल किता 6 कुल रकबा 2.0200 हैक्टेयर, वाके ग्राम जयरामपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र–खोराबिसल, –तहसिल–आमेर, जिला–जयपुर में स्थित है, पर अप्रार्णीगण किसी 2 बेदखल नहीं करें तथा प्रार्थीगण के कृषि करने व उपयोग–उपभोग में बाधा कारित नहीं करें तथा मजाहमत व मदालखत पैदा नहीं करें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के उपरान्त अप्रार्थीगण की विधिवत जरिये रजिस्टर्ड एडी तलवी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 एवं 5 लगायत 9 की ओर से जवाब–प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थना–पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित कथन में केवल मात्र उक्त उनवानी वाद पेश करना पेश करना स्वीकार है, शेष कथन गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना–पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1138/1752 रकबा 0.18 हैक्टेयर, 1139/1753 रकबा 0.22 हैक्टेयर, 1150/1754 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 1217 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 1218 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 1219 रकबा 1.35 हैक्टेयर, कुल किता 6 कुल रकबा 2.02 हैक्टेयर वाके ग्राम जयरामपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर में स्थित है। किन्तु उक्त भूमि में मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नंबर 1150 रकबा 0. 51 हैक्टेयर भूमि में से दौराने सेटिलमेन्ट कारित ही अवैध व विधिविरुद्ध तरीके से 0.15 हैक्टेयर भूमि कम करके प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 745/5 की दर्शा कर नया खसरा नंबर 1150/1754 बनाकर प्रार्थीगण के नाम मर्ज कर दी तथा अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 744 रकबा 2 बीघा के नये नंबर 1150 में अप्रार्थीगण की अन्य खसरा

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:59:38 IST
Reason: SelfAttested

नंबरान् की भूमि मिलाकर 0.51 हैक्टेयर अप्रार्थीगण के नाम कर दी गयी। जबकि मौके पर खसरा नंबर 1150/1754 पुराने नक्शा ट्रेस के अनुसार अप्रार्थीगण की भूमि ही दर्शित होती है। जिससे प्रार्थीगण की भूमि गत खसरा नंबरान् के रकबे से ज्यादा हो गयी तथा अवादगण की भूमि गत रकबा के अनुसार कम हो गयी। जिसके बाबत् मान्य न्यायालय में पूर्व में राजस्व वाद उनवानी बन्नेसिंह बनाम रामनिवास वगैरह जैर तजवीज है। जिसमें मिन अप्रार्थीगण के पिता स्व० देवीसहाय पुत्र गुलाब के नाम गत खसरा नंबरान् 743, 744, 745, 746, 750 कुल किता 6 कुल रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा थे। जिनका इन्द्राज रिकॉर्ड ऑफ राईटस् अर्थात् जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस में सही था। गत भू–प्रबंध कार्यवाही हाल खसरा नंबर 1148 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1149 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1151 रकबा 0.51 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.89 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 1155 रकबा 0.55 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1154 रकबा 0.87 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1153 रकबा 0.01 हैक्टेयर, बनाये गये जो मिन अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त में राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। खसरा नंबर 744 रकबा 2 बीघा के हाल खसरा नंबर 1151 रकबा 0.51 हैक्टेयर बनाये गये जो अन्य खसरा नंबरान् की भूमि में से कटौती कर बनाये गये है। जबकि खसरा नंबर 744 रकबा 2 बीघा की भूमि में से 0.15 हैक्टेयर भूमि का नया खसरा नंबर 1150/1754 रकबा 0.15 हैक्टेयर बनाकर उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम अवैध रूप से रिकॉर्ड व नक्शें में हेराफेरी कर लगा दी। यही भूमि मूल विवाद का विषय है, यानि वादग्रस्त भूमि है। जिस पर मिन अप्रार्थीगण ने दावा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जिसमें अविलम्ब स्टे ऑर्डर जारी किया गया था। प्रार्थना–पत्र के मद संख्या 3 में वर्णित प्रार्थीगण का यह कथन कतई मिथ्या है कि अप्रार्थीगण सबल व ताकतवर हो और वे स्वंय निर्बल हो। प्रार्थीगण जबरन आये दिन मिन अप्रार्थीगण को बेदखल करने पर उतारू रहते है। झगडा फसाद व अतिक्रमण प्रार्थीगण ही करते है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में काफी हेरफेर कर दिया है जो भू–प्रबंध विभाग द्वारा बिना क्षेत्राधिकार किया गया है। प्रार्थना–पत्र के मद संख्या 4 में वर्णित कथन पूर्णतः गलत है। खसरा नंबर 1150/1754 रकबा 0.15 हैक्टेयर भूमि गत खसरा नंबर 744 की भूमि से बनाया गया है। जिस पर मिन अप्रार्थीगण के पिता दादा व पूर्व हक अधिकारी के जमाने से काबिज चले आ रहे है। प्रार्थीगण ने कब सीमाज्ञान करवाया, मिन अप्रार्थीगण को जानकारी में नहीं है। वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा सीमाज्ञान गलत है, पुराने नक्शा ट्रेस व रिकॉर्ड से पत्थरगढी करवाये। यदि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की हो तो मिन अप्रार्थीगण कब्जा सौंप देगें और यदि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पुराने रिकॉर्ड से नहीं निकले तो मिन अप्रार्थीगण दुरूस्ती करवाने के अधिकारी है। बन्नेसिंह जी ने अतिक्रमण कभी नहीं किया बल्कि बजमानें बुजुर्गान् से गत खसरा नंबर 744 की भूमि पर कब्जाकाश्त मिन अप्रार्थीगण का ही चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1150/1754 मिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:59:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

अप्रार्थीगण के जाव में है तथा इसकी मेड पर 30–40 वर्ष पुराने बडे–बडे पेड जिन्हें अप्रार्थीगण के पूर्वजों ने लगाये थे खडे है तथा पाईपलाईन व होद बनी हुई है। प्रार्थीगण ने भू–प्रबंध कर्मचारियों से साजिश कर रिकॉर्ड में हेराफेरी करवाई है। जिसकी दुरूस्ती का दावा अप्रार्थीगण ने मान्य न्यायालय में पेश कर रखा है। प्रार्थीगण का यह कथन भी गलत है कि दिनांक 26–7–2012 को प्रार्थीगण को कब्जा संभलाया गया हो। केवल कागजी कार्यवाही गुप्त रूप से करवायी है। जिसे मिन अप्रार्थीगण नहीं मानते है, प्रार्थीगण को क्या परेशानी है यदि इन्द्राज पूर्व इन्द्राज की तरह कर दिया जावें। इस कथन में प्रार्थीगण स्वंय मान रहे है कि कब्जा मिन अप्रार्थीगण का ही बजमाने बुजुर्गान् से बहैसियत खातेदार व स्वामी चला आ रहा है। प्रार्थना–पत्र के मद संख्या 5 में वर्णित कथन मनगढन्त, बनावटी व मिथ्या होने से अस्वीकार है। दिनांक 08–7–2023 को ना तो प्रार्थीगण ने कोई ट्रेक्टर चलाया ना ऐसी कोई घटना घटित हुई बल्कि प्रार्थीगण बार–बार वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1150/1754 पर जबरन कब्जा करने की नापाक कोशिश करते है। प्रार्थीगण का यह कथन भी कतई झूठा है कि पुलिस थाना द्वारा वादग्रस्त भूमि में फसल बुआई हो, पुलिस को ऐसा कोई हक अधिकार कानूनन प्राप्त नहीं है कि वो वैध कब्जाधारी को बेदखल कर किसी अन्य का कब्जा करवाये। जबकि वादग्रस्त भूमि बाबत् न्यायालय में वाद पेंडिग है। मिन अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को कभी भी कोई धमकियों नहीं दी बल्कि अपनी खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि जो भूप्रबंध कार्यवाहियों की लापरवाही से गलत इन्द्राज कर दी गयी, उसे अप्रार्थीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर बिना अधिकार व बिना कब्जे स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थना–पत्र के मद संख्या 6 में वर्णित कथन गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी ने वाद में विरोधाभासी व बनावटी वादकारण अंकित किये है। दिनांक 08–7–2023 व 09–7–2023 को किस दिन वादकारण उत्पन्न हुआ स्पष्ट नहीं है। बिना ठोस वादकारण वाद स्वतः ही खारिज योग्य है। प्रार्थना–पत्र के मद संख्या 7 में वर्णित कथन कतई गलत होने से अस्वीकार है। सुविधा का सन्तुलन व प्रथम दृष्ट्या मामला बमुकाबले प्रार्थीगण मिन अप्रार्थीगण के पक्ष में सुदृढ बना हुआ है। प्रार्थना–पत्र के मद संख्या 8 में वर्णित कथन कतई मिथ्या होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1150/1754 रकबा 0.15 हैक्टेयर भूमि मिन अप्रार्थीगण की पुश्तैनी, मौरूसी व कब्जेकाश्त की भूमि रही है तथा वर्तमान में भी मिन अप्रार्थीगण का ही कब्जाकाश्त है। यदि प्रार्थीगण निषेधाज्ञा की आड में मिन अप्रार्थीगण को उनकी कब्जेकाश्त, स्वामित्व कब्जेकाश्त की भूमि से उन्हें जबरन बेदखल करवा देगें तो मिन अप्रार्थीगण को ऐसी अपूर्णनीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। मिन अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण के मध्य पूर्व में वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1150/1754 रकबा 0.15 हैक्टेयर ग्राम जयरामपुरा के बाबत् वाद घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् जैर तजवीज है। धारा 10 सी.पी.सी. के तहत वाद

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:59:38 IST
Reason: SelfAttested

की कार्यवाही रोके किया जाना न्यायोचित न है। अतः अस्थाई प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आधारहीन व गलत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज फरमाया जावें।

उभयपक्षीय विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। सम्पूर्ण पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात् व उभयपक्षीय बहस का अवलोकन व मनन किया। सुसंगत न्यायिक प्रावधानों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसमें प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू को देखा जाना है। प्रार्थी ने जाहिर किया कि अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करने की कोशिश में रहते हैं तथा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में आये दिन झगडा–फसाद करते रहते है। जबकि प्रार्थीगण की भूमि से अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है, प्रार्थीगण ने अपनी भूमि का सीमाज्ञान भी करवाया है तथा प्रार्थीगण व अर्थीगण की भूमि सीवा जोड भूमि है तथा अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने की कुचेष्टा में रहते है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने इस आपत्ति की है। चूकि उभपक्षकारान की आराजी सीव जोड की भूमि है तथा सीमा एवं रकबा कम एवं ज्यादा का वाद विचाराधीन है। जिससे प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थीगण के वाद पत्र का औचित्य समाप्त हो सकता है तथा अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है, इसलिए अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे खसरा नम्बर–1138/1752 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–1139/1753 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–1150/1754 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–1217 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–1218 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–1219 रकबा 1.3500 हैक्टेयर, कुल किता 6 कुल रकबा 2.0200 हैक्टेयर, वाके ग्राम जयरामपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र–खोराबिसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला–जयपुर, में अतिक्रमण नहीं करे, अप्रार्थीगण, प्रार्थी को बेदखल नहीं करे।

प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:59:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर